ग्राम पंचायत किशनपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH HC (5)C(15)LAD/2006 12669, दिनांक 7 4 2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत किशनपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री राम सिंह	1.4.2013 से 22 1 2006
2	श्री जसवन्त सिंह	23.1.2016 से 31.3.2016 लगातार

सचिव

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति मीना देवी	1.4.2013 से 31.3.2015 लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत किशनपुरा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	अनुदान की राशि का उपयोग न करना	19.14
2	7	पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.79
3	8	शराब उपकर की वसूली का विवरण प्रस्तुत न करना	0.94
4	11	निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि की माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना	15.78
5	12	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	8.17

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत किशनपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक दिनांक 13.6.2016 से 17.6.2016 के दौरान ग्राम पंचायत किशनपुरा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 5/2013, 6/2014, 8/2015 तथा माह 11/2013 6/2014 और 12/2015 का चयन किया गय, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत किशनपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16, दिनांक 16.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत किशनपुरा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत किषनपुरा नालागढ़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

(क) स्वः स्त्रोत

ग्राम पंचायत किशनपुरा के अवधि 4/2013 से 3/2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	233256	218771	452027	102006	350021
2014–15	350021	312880	662901	59009	603892
2015–16	603892	103786	707678	94423	613255

(ख) अनुदान

ग्राम पंचायत किशनपुरा (नालागढ़) के अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	623576.94	1255775	1879351.94	812547	1066804.94
2014–15	1066804.94	546124	1612928.94	1147441	465487.94
2015–16	465487.94	2079027	2544514.94	868503	1676011.94

रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को शेष (₹613255+₹167011 94)	2289266.94
बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को शेष	2291426.94
अन्तर (बैंक में अधिक जमा राशि)	₹2160

नोट

1. वर्ष 2009 से 2012 में ₹1110 बैंक में अधिक जमा थी।
2. चैक संख्या : 888485, दिनांक 18.6.2014, ₹1050 के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक भुगतान नहीं हुआ था। (Check issued for payment but not Cashed)

5 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) रोकड़ वही के अवलोकन से पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायतों द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खाते के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत किशनपुरा (नालागढ़) द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी और न ही अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई। अतः उक्त अवधि के बैंक समाधान विवरणी तैयार करके इसे आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्यवाही की अनुपालना से लेखा–परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान की ₹19.14 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–3)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान की ₹19,14,930.15 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार इस राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट

करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7 पंचायत राजस्व की ₹0.79 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा स्थापित किए गए मोबाइल टावरों की ₹79,000 दिनांक 31.3.2016 तक वसूली शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट–2** में दिया गया है। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

8 शराब उपकर से आय का विवरण प्रस्तुत न करना

सरकार द्वारा शराब की बिक्री पर 1 रूपये प्रति बोतल उपकर लगाया गया है, जोकि ग्राम पंचायत को मिलता है। इस राशि की उगाही आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा की जाती है तथा निमयानुसार राशि को पंचायतों में बांट दिया जाता है। ग्राम पंचायत किशनपुरा (नालागढ़) के शराब उपकर की अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच उपरान्त निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा राशि प्राप्त की गई।

वर्ष	प्राप्त राशि
2013–14	42296.27
2014–15	18364.00
2015–16	33812.00
कुल राशि	**₹94472.27**

उपरोक्त विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹94,472.27 प्राप्त की गई, परन्तु इससे सम्बन्धित रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त वर्षों के दौरान कितनी शराब की बोतलें बेची गईं; उनसे सम्बन्धित अभिलेख भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस सन्दर्भ में वान्छित कार्यवाही कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

9 बजट प्राक्कलन निर्धारित फार्म–11 के अनुसार तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम पंचायत बी सभा से पारित करवाना जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2013–14, 2014–15 व 2015–16 का बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित करवाया गया था, परन्तु यह प्राक्कलन नियमानुसार फार्म–11 के अनुसार तैयार नहीं किया गया था। अतः बजट प्राक्कलन फार्म–11 पर तैयार करके पारित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 उप–प्रधान/वार्ड पंचों को मानदेय की ₹1100 की अनुचित अदायगी बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अनुसार ग्राम पंचायत के सदस्यों को ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, ऐसी दरों पर जैसी राज्यों सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए, बैठक की फीस संदत्त की जाएगी, परन्तु ग्राम पंचायत के सदस्यों को यदि यह ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो बैठक फीस नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर/अभिलेखों की जांच करने पर पाया

गया कि माह 3/2016 के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्यों को बैठक में बिना उपस्थिति के मानदेय दिया गया है, जोकि अनुचित है तथा नियमों के विरूद्ध है, जिसका विवरणा निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	सदस्य का नाम	बैठक की तारीख	दिया गया मानदेय
1	संजीव कुमार (उप–प्रधान)	30.3.2016	900
2	तृप्पा देवी (सदस्य)	30.3.2016	200
		कुल योग	**₹1100**

अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करके अनुपालना से लेखा–परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

11 निर्माण कार्यों पर व्यय की गई ₹15.78 लाख से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50,000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अवधि के दौरान निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **(परिशिष्ट–4)** में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹15,77,918 का व्यय, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार करके किया गया था, परन्तु अंकेक्षण में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिकाएं प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे निर्माण कार्यों पर व्यय की गई राशि की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः उक्त निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा इस सन्दर्भ में की गई कार्रवाई की अनुपालना से लेखा–परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

12 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹8.17 लाख के स्टॉक का क्रय करना

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'5'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹817466 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

16 निष्कर्ष :– ग्राम पंचायत के लेखाओं के रख–रखव में उचित सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(iv)1/2016, खण्ड–1–5622–5625 दिनांकः 25.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत किशनपुरा, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील नालागढ़, जिला सोलन हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, तहसील सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009